समाज की आर्थिक समृद्धि में जीवन बीमा की उपयोगिता

*डॉ. डी.के. सिंघल ** कु. कविता पवार *** हेमसिंह मण्डलोई

भविष्य अनिश्चित व अज्ञात है पवित्र गीता का यह संदेश ''परिवर्तन संसार का नियम है'' भी यही कहता है कि कल क्या होने वाला है, निश्चित रुप से कोई भी नही बता सकता है।शायद इसीलिए कहा है कि

''चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानी च''।

सामान्यतः एक साधरण परिवार अपनी दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसे– रोटी, कपड़ा व मकान तथा आर्थिक जिम्मेदारीयां जैसे बच्चों की शिक्षा,शादी स्वास्थ्य की देखभाल,वृद्धावस्था आदि के लिये परिवार के कर्ता को निरन्तर प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर होता है। जब तक कर्ता जीवित है तब तक आय भी जीवित रहती है, परिवार की आवश्यकताएँ भी पूरी होती है परंतु मनुष्य के जीवन को सदैव विनाश या हानि का भय लगा रहता है यदि दुर्भाग्यवश अचानक परिवार के कर्ता की असमय मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है व परिवार निर्धनता की यातनाओं का शिकार बन जाता है। जो व्यक्ति ऐसे संकटों के शिकार होते है, उनको भारी मानसिक और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है।

''यद् भविष्यो विनश्यति'' एवं ''उपायेन हि यच्छक्यं तच्छक्यं परक्रमैः''

अर्थात ''भाग्य के भरोसे पर रहने वाला नष्ट हो जाता है एवं '' जो कार्य उपाय से किया जाता है, वह पराक्रम के बल पर नही''। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि हर आदमी अपने बच्चों की अच्छे ढ़ंग से परवरिश व परिवार की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा करना चाहता है। यह केवल भावनात्मक विषय ही नही है, बल्कि आर्थिक विषय भी है। वर्तमान में न केवल वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृध्दि हुई है, बल्कि शिक्षा व चिकित्सा व्ययों में भी वृध्दि हुई है। अतः इन सभी प्रकार के व्ययों हेतु एक आर्थिक योजना बनाना आवश्यक है। इस प्रकार मानव जीवन को सदैव अपने जीवन एवं सम्पति के सम्बन्ध में भय एवम् जोखिम बना रहता है। जोखिम जीवन के प्रत्येक हिस्से में हर समय विद्यमान रहती है। जोखिम की तीव्रता बदलती रहती है, किन्तु जोखिम कभी समाप्त नही होती है। मनुष्य ने इन जोखिम से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कई रास्ते निकाले है, इन्ही में से एक बीमा है।

बीमा क्या है ''हानि या क्षति की सम्भावना सुरक्षा हेतु तैयार किया जाने वाले एकमात्र सेतु''

जीवन में अनिश्चित और जोखिम भरी घटनाऐं समय–समय पर उत्पन्न होती रहती है, इन जोखिम एवं अनिश्चित घटनाओं से जीवन को हानि होती रहती है। मानवीय जीवन का प्रत्येक क्षेत्र ही नही अपितु स्वयं मानव जीवन जोखिम एवं अनिश्चितओं से परिपूर्ण है। मृत्यु,दुघर्टना एवं प्राकृतिक विपदा किसी भी समय आ सकती है। इन दुःखद घटनााओं को रोक सकने में मनुष्य असमर्थ है, लेकिन इन पीड़ादायक दुखदायी घटनाओं को कम किया जा सकता है। ऐसी जोखिम एवं अनिश्चित घटनायें भविष्य में कभी भी उत्पन्न हो सकती है। इनके विरुध्द, इनके कारण होने वाली हानि से बचने के लिए जो सुरक्षा प्राप्त की जाती है। वही बीमा कहलाती है अर्थात् बीमा एक करार या अनुबंध है, जिसके अन्तर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है या फिर प्रतिफल प्राप्त करने के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने पर एक निश्चित दृव्य राशि के भुगतान करने का वचन देता है।

बीमा का इतिहास आज के आधुनिक इंसान में भी नुकसान और आपदाओं से लडनें की वही सुरक्षा प्रवृत्ति पायी जाती है, जो प्राचीन काल के मानव में व्याप्त थी। आग और बाढ़ जैसी आपदाओं से बचने के लिए उन्होनें कोशिशे की और अपनी सुरक्षा के लिए हर प्रकार के बलिदान देने को भी तत्पर रहते थे। शायद भविष्य की इन्ही अनिश्चिताओं तथा जीवन की अस्थिरता के कारण ''बीमा पध्दति'' का आविष्कार हुआ, क्योकि ''वैदिक काल'' एवं ''मनु'' के ग्रंथों के अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि किसी रुप में आपातकाल हेतु प्राचीन समय में बीमा जैसी व्यवस्था विद्यमान थी। ''ऋग्वेद'' में एक शब्द बार–बार पढ़ने को मिलता है ''योगक्षेम'' जिसका अभिप्राय वर्तमान में बीमा से लगाया जा सकता है। अतएव यह कहा जा सकता है कि लगभग तीन सहस्त्र (3000) वर्ष पूर्व भी ''बीमा'' जैसी पध्दति प्रचलित थी। हालांकि बीमाकरण की अवधारणा पिछले कुछ वर्षो में ही आयी है, खासतौर से औद्योगिकरण के बाद के समय में कुछ सदियों पहले लेकिन फिर भी इसके अंकुर 6000 साल पहले ही फुट चूके थे। ई.पू. 3000 वर्ष से किसी न किसी रुप मे बीमा के अस्तित्व की जानकारी रहने का

* प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय एस.एन. महाविद्यालय, खण्डवा
**शोध छात्रा एस.एन. महाविद्यालय, खण्डवा
*** वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर

पता चलता है। खतरनाक नदियों के बहाव को चीरते हुए व्यापार करने निकले चीनी व्यापारी आपनी वस्तुओं को अलग अलग पोतों मे लादकर चला करतें थे, ताकि किसी एक पोते के नष्ट हो जाने की स्थिति में होने वाली हानि आंशिक हो तथा उसे बांटा जा सके। ऐसे मे कम से कम सम्पूर्ण हानि तो नही होगी। बेबीलोनियन व्यापारी साहूकारों को अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाया करते थे, क्योंकि पोतलदान की चोरी हो जाने पर साहुकारों का ऋण तो चुकाया जा सके। रोहड्स के निवासियों ने तो ''सामान्य बीमा हानि'' का सिध्दांत अपनाया था, जिसके अन्तर्गत वस्तुओं को एक ही साथ जहाज में भेजे जाने पर संकटकाल आने पर सामान को समुद्र मे फेकनें के कारण होने वाली हानि की स्थिति में वस्तु स्वामी हानियों को आनुपातिक रुप से वहन कर सके। (तुफानों से घिर जाने पर जहाज का केप्टन कुछ कार्गो को समुद्र में गिरा देते थे ताकि वजन कम करते हुए पोत का संतुलन बनाया जा सके। इस तरह माल के फेके जाने को जेटिसनिंग कहा जाता है।) ग्रीकवासियों ने तो मृतक का अंतिम संस्कार करने और उसके पारिवारिक सदस्यों की देखभाल करने के लिए सातवीं ई. में बेनेवोलेंट सोसायटियों की शुरुवात कर दी थी। सन् 1666 में हुए लन्दन के महान अग्निकांड ने, जिसमें 13000 घर जलकर स्वाहा हो गये थे। बीमा को बढावा दिया गया और सन् 1680 में ''फायर ऑफिस'' नामक पहली अग्नि बीमा कम्पनी का श्री गणेश हुआ।

भारत में जीवन बीमाजीवन बीमा अपने आधुनिक रुप के साथ 1818 के दशक में इंग्लैंड से भारत आई ।भारत की पहली जीवन बीमा कम्पनी कलकत्ता में यूरोपियंस के द्वारा शुरु की गई, इसका नाम था ओरिएटंल लाईफ इंश्योरेंश। इस कम्पनी की स्थापना के साथ ही भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का प्रसार होता गया तथा सन् 1823 में बॉम्बे में ''बॉम्बे लाइफ इंश्युरेंस'' और सन् 1829 में चैन्नई में ''मद्रास इक्टिबिल इंश्योरेंस'' की स्थापना हुई। सन् 1870 तक अनेक छोटी—बड़ी कम्पनियॉ भारत में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन तत्कालिन बीमा कम्पनियॉ मुख्य रुप से अंग्रेजों के जीवन का बीमा करती थी। परंतु कुछ समय बाद बाबू मुंतीलाल सील जैसे महान व्यक्तियों की कोशिशों से विदेशी जीवन बीमा कम्पनियों ने भारतीयों का बीमाकरण करना शुरु किया। परंतु यह कम्पनियॉ भारतियों के साथ निम्न स्तर का व्यवहार करती थी जैसे भारी और अधिक प्रीमियम की मांग करना। इन्ही परिस्थितियों के चलते सन् 1870 में बॉम्बे म्युचुअल लाईफ इंश्युरेंश सोसायटी नामक पहली बीमा कम्पनी के प्रवेश का अध्याय प्रारम्भ हुआ।

जीवन बीमा क्या है

''भारत में जीवन बीमा की शुरुआत सौ साल से भी पहले हुई थी। दुनिया की सबसे बडी आबादी वाले हमारे देश में बीमा को उतना महत्व नही दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। बीमा का सर्वाधिक व्यवसाय जीवन बीमा व्यवसाय से होता है। जीवन बीमा के अंतर्गत एक निश्चित उम्र तक के लिए निश्चित राशि का बीमा कराया जाता है। इसमें एक व्यक्ति अपने जीवन का या आर्थिक बीमा योग्य हित रखने वाले व्यक्ति के जीवन का बीमा करवा सकता है। इस हेतु बीमित व्यक्ति के द्वारा बीमा कम्पनी के पास मासिक, तिमाही, अर्ध्दवार्षिक या वार्षिक बीमा शुल्क जमा करता है, जिसे प्रीमियमकहते है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को बीमा की रकम मिल जाने से वे असहाय,अनाथ होने एवं आर्थिक कठिनाईयों से बच जाते है। जीवन बीमा में सुरक्षा एवं विनियोग दोनो तत्व पाये जाते है, जो किसी अन्य बीमा में नही है।

बीमा के प्रकार आधुनिक युग में बीमा का क्षेत्र अति व्यापक हो गया है, इससे बीमा के अनेक रुप प्रचलित हो गये है। आजकल व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को विविध प्रकार की जोखिमों से बचने के लिए बीमा कराया जाता है। विश्व के विकसित देशों में व्यक्ति अपने किसी भी शारीरिक अंग का बीमा करा सकता है जैसे नर्तकी अपने पैरों का, डॉक्टर अपने हाथों का, टाईपिस्ट अंगुलियों का बीमा करा सकता है। जो देश जितना उन्नत व प्रगतिशील होगा, बीमा के विभिन्न स्वरुप उसमें प्रचलित होगें। भारत में बीमा के सर्वाधिक प्रचलित प्रकार अग्रलिखित है :— 1. जीवन बीमा2. अग्नि बीमा 3. सामुद्रिक बीमा 4. दुघर्टना बीमा 5. सामाजिक बीमा 6. अन्य बीमा

जीवन बीमा की उपयोगिता या महत्व

चूंकि कहा गया है कि ''काल चक्र की गति कोई नहीं जानता'' अतः इस मानव जीवन के लिए कालचक्र के संकटपूर्ण क्षण में जीवन बीमा के अलावा कोई स्पष्ट विकल्प नजर नहीं आता। इस तरह जीवन बीमा बुरे दिनों का सहारा माना जाता है, क्योकि मनुष्य को सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाईयों का सामना किसी भी क्षण करना पड़ सकता है इस हेतु जीवन बीमा ही सहायक हो सकता है। यदि जीवन बीमा की सहायता ली जाय तो हयूबनर तथा ब्लेक (**HUBNER AND BLACK**) नामक विद्वानों का यह मत सही साबित होता है, जिसमें कहा गया है कि ''पर्याप्त बीमा करा लेने से बीमित अच्छा खाता है, अच्छी तरह सोता है, अच्छी तरह सोचता है और परिणामस्वरुप अच्छा कार्य करता है।''

1. **आर्थिक सुरक्षा** बीमा परिवार व व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा कराने से बीमित को यह विश्वास रहता है कि उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के लोग दर दर की ठोकरे नही खायेगें, क्योंकि बीमा कंपनी से एक निश्चित धन राशि प्राप्त हो जायेगी। इसके विपरित यदि वह जीवित रहता है तो वृध्दावस्था में परिवार के अन्य सदस्य भी कभी—कभी साथ छोड़ देते है ऐसी दशा में यदि व्यक्ति का बीमा रहता है, तब निश्चित आय के द्वारा वृध्दावस्था को अच्छे ढंग से व्यतीत किया जा सकता है। वैसे भी ''डूबते सूरज को कम लोग प्रमाण करते है'' अतः मनुष्य रुपी ''डूबते सूरज को सहारा देने में बीमा कम्पनी विशेष उपयोगी है।

2. **मितव्ययिता** बीमा व्यक्ति को मितव्ययिता का पाठ

पढ़ाता है और इस प्रकार यह रुपया बचाने तथा फिजूलखर्ची रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। बीमा परिवार में धन संचय की भावना जागृत करता है। जब बीमा कराने वाला यह समझता है कि बिना प्रीमियम जमा किए उसकी बीमा पॉलिसी रद्द हो सकती है तो वह हर सम्भव तरीके से बचत करने के लिए विवश हो जाता है।

3.औद्योगिक विकास किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास में बीमा का विशेष महत्व होता है। बीमा कम्पनियॉ छोटी–छोटी बचतों को एकत्र कर बड़े–बड़े अद्योगों के लिए ऋण प्रदान करती है। आज सरकार के विभिन्न उपक्रमों एवं संगठनों के पास बीमा की पूॅजी लगी हुई है।

4.सभ्यता का प्रतिक बीमा ने आधुनिक सामाजिक जीवन को प्राचीन युग की जंगली सभ्यता की तुलना में निःसन्देह उपर उठाया है। बीमा इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा साधनों को मनुष्यों ने कितना परिष्कृत रुप दिया है। आज का मनुष्य केवल वर्तमान के लिए ही नहीं वरंन् भविष्य की आपत्तियों के लिए भी सचेत है।

5.सुरक्षा एवं विनियोग जीवन बीमा ही ऐसा एकमात्र बीमा है, जिसमें सुरक्षा एवं विनियोग एक साथ विद्यमान है। इसमें बीमित द्वारा दी गई प्रीमियम की धनराशि का भुगतान (बोनस सहित) अवश्य हो जाता है।

6. आयकर में छूट जीवन बीमा प्रोत्साहन हेतु आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रीमियम पर आयकर में छूट का लाभ बीमित को मिलता है।

7. सामाजिक आर्थिक सम्पन्नता जीवन बीमा कराने से समाज में आर्थिक सम्पन्नता आती है, क्योंकि एक गरीब श्रमिक भी अपनी मजदूरी में से थोडा–थोडा धन बचाकर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और समाज का भार कम कर सकता है।

8. रोजगार प्रदान करने में सहायक जीवन बीमा समाज में फैली हुई बेरोजगारी को भी कम करती है। इस समय पुरी दुनिया में भले ही आर्थिक मंदी छाई हो, लेकिन यदि भारत की बात करे तो यहॉ इंश्युरेंश सेक्टर आज भी लगातार फल फूल रहा है।

जीवन बीमा क्षेत्र में बढती निजी भागीदारी

भारतीय जीवन बीमा कारोबार लम्बे समय तक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम में हो रहा। वर्ष 2000 से जीवन बीमा क्षेत्र में एक बडा परिवर्तन आया, जबकि यह क्षेत्र निजी भागीदारी कम्पनियों के लिए खोल दिया। इसमें निजी कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई तथा निजी कम्पनियों पर लगे प्रतिबंध समाप्त कर दिये गये । विदेशी बीमा कम्पनियों को भी सीमित दायरे में भारतीय कारोबार में प्रवेश की अनुमति दी गई। आज भी भारतीय जीवन बीमा निगम का भारतीय जीवन बीमा कारोबार में सबसे अधिक हिस्सा है। बीमा कारोबार के क्षेत्र में निजी कम्पनियों ने तेजी से पैर पसारना शुरु कर दिया है और उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय प्रीमियम से आय के मामले में निजी बीमा कम्पनियों ने बीमा करोबार में लगभग 10 प्रतिशत बाजार हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। वर्ष 2002–2003 में 12 निजी कम्पनियों के द्वारा 1000 करोड़ रुपये की प्रीमियम से आय अर्जित की थी, जो गत वर्ष तक तिगुनी से भी अधिक हो गई। दिसम्बर 2000 में गैर जीवन बीमा कारोबार में संलग्न जनरल इंश्युरेंस कम्पनी व इसकी सहायक चारों कम्पनियॉ दि नेशनल इंश्युरेंस कम्पनी लिमिटेड , दि न्यू इंडिया इंश्युरेंस कम्पनी लिमिटेड , दि ओरिएंटल इंश्युरेंस कम्पनी लिमिटेड तथा दि युनाइटेड इंडिया इंश्युरेंस लिमिटेड का स्वंतत्र बीमा कम्पनियों के रुप में पूर्नगठन किया गया । उसी समय जनरल इंश्युरेंस कम्पनी को राष्ट्रीय स्तर की री–इंश्युरेंस (पुनर्बीमा) कम्पनी के रुप में परिवर्तित कर जुलाई 2002 मे संसद में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार नें जनरल इंश्युरेंस कम्पनी की चारों सहायक कम्पनियों का मूल कम्पनी से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया।

निष्कर्ष व सुझाव

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में जीवन बीमा का भविष्य उज्जवल है। वर्ष 2001–2002 में जहॉ भारत में 50094 करोड का बीमा व्यवसाय हुआ था। बीमा के बढते महत्व व लोगों का इसके प्रति जागरुक होने के कारण निजी क्षेत्र की कम्पनियॉ भी इस व्यवसाय की तरफ आकर्षित हो रही है। वर्तमान में 22 निजी कम्पनियॉ इस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। जीवन बीमा व्यवसाय लगातार तेजी से आगे बढ रहा है। वर्ष 2007–2008 में कुल बीमा व्यवसाय 201351 करोड़ का हुआ जो प्रति व्यक्ति 1610 रुपये के लगभग था, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति बीमा 358.1 डॉलर था वही भारत में यह 40.4डॉलर का ही है। भारत में अभी भी बीमा व्यवसाय ने उतनी उन्नती प्राप्त नही की है, जितनी अन्य विकसित व विकासशिल देशों ने की है। बीमा उद्योग के विश्लेषकों के अनुसार भारत में बीमा के कम व असंतुलित होने का मुख्य कारण यह है कि लोगों को बीमा से संबंधित जानकारी न होना, जीवन बीमा कम्पनियों के द्वारा अपनायी गई अप्रभावी बीमा योजनाएं वितरण व बाजार ब्यूह रचना में कमी है। अतः बीमा व्यवसाय में लगी हुई कम्पनियों को चाहिए कि जीवन बीमा व्यवसाय के अंतर्गत समय समय पर आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु दृढ इच्छा शक्ति के साथ व्यवसायिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. व्यवसाय अध्ययन–शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी 2. बीमा के तत्व,–बालचंद श्रीवास्तव, साहित्य भवन आगरा 3. Selection of risk, Bombay -Insurance institue of India 4 insurance of india - AN Agrawal